**जांच सूची क्रमांक 21 – डम्ब बार्ज का परिवर्तन (स्वचालित जहाज में) – पंजीकरण समाप्ति**

**(पृष्ठ 2 का 3)**

| **क्र.सं.** | **आवश्यक दस्तावेज** | **हां/नहीं** |
| --- | --- | --- |
| 1 | यदि कंपनी हो: कंपनी सचिव या दो निदेशकों द्वारा हस्ताक्षरित मूल बोर्ड प्रस्ताव / यदि व्यक्तिगत स्वामी हो: स्वामी द्वारा हस्ताक्षरित पत्र, जिसमें यह उल्लेख हो कि पोत को स्वचालित (सेल्फ प्रोपेल्ड) पोत में परिवर्तित किया जा रहा है, और किसी व्यक्ति को दस्तावेज़ों पर स्वामी की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया है। |  |
|  | **नोट:** बोर्ड प्रस्ताव पर कॉमन सील आवश्यक नहीं है। हालांकि, पावर ऑफ अटॉर्नी, बिल ऑफ सेल आदि जैसे दस्तावेजों के निष्पादन हेतु कॉमन सील अनिवार्य होगा। |  |
| 2 | एमएमडी / आईआरएस द्वारा जारी सभी वैधानिक प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियाँ (जैसा लागू हो) समर्पित की जानी चाहिए: |  |

1. पंजीकरण प्रमाणपत्र
2. लोड लाइन प्रमाणपत्र
3. एसपीएस कोड के अंतर्गत जारी अनुपालन प्रमाणपत्र
4. IOPP प्रमाणपत्र
5. सीवेज प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र | |
| 3 | पोत का नाम, कॉल साइन, आधिकारिक संख्या और डिजिटल सिलेक्टिव कॉल (MMSI) संख्या अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में समर्पित की जाए। साथ ही, यह प्रमाण प्रस्तुत किया जाए कि निम्नलिखित उपकरणों को निष्क्रिय कर दिया गया है (यदि लागू हो):
(a) मोबाइल स्टेशन लाइसेंस
(b) इनमारसैट
(c) शिप सिक्योरिटी अलार्म
(d) EPIRB | |
| 4 | पंजीकरण समाप्ति के समय कोई बकाया ऋण / गिरवी (लीन / हाइपोथीकेशन) नहीं होना चाहिए। | |

**केवल कार्यालय उपयोग हेतु नोट:**

1. यदि उपरोक्त सभी आवश्यकताओं का पालन किया गया हो, तो **विलोपन प्रमाणपत्र (Deletion Certificate)** जारी किया जाएगा।

**नोट:** जांच सूची के अनुसार संलग्न किसी भी दस्तावेज़ की फोटोकॉपी केवल कंपनी के अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और मोहर सहित होनी चाहिए। बिना सत्यापन और मोहर के दस्तावेज़ इस कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।